

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी-3/2017/46

दिनांक:- 9.01.2018

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 9,18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड	देय पे ग्रेड
1	अल्पना जोशी	सवाई माधोपुर	23.06.08	23.06.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
2	मुकेश कुमार मित्तल	सवाई माधोपुर	08.08.08	08.08.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
3	संतोष कुमारी सुरैला	बीकानेर	23.08.08	23.08.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
4	सावित्री भाटी	जोधपुर	04.05.99	04.05.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
5	सुमनलता मीणा	झालावाड	26.06.08	26.06.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
6	सुजा वर्गिस	भीलवाडा	16.03.99	16.03.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
7	नीलिमा बोहरा	जोधपुर	21.10.99	21.10.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
8	शाह बानो	जोधपुर	01.04.08	01.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
9	निर्मला चौहान	जोधपुर	04.04.08	04.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
10	शारदा	अजीतगढ, सीकर	09.04.08	09.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
11	सुनिता	अजीतगढ, सीकर	15.04.08	15.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
12	सुमनलता वर्मा	अजीतगढ, सीकर	15.04.08	15.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
13	विनीता तंवर	जोधपुर	04.04.08	04.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
14	प्रतिभा चौधरी	जोधपुर	02.04.08	02.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
15	बेट्सी अचम्मा	जोधपुर	06.08.99	06.08.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
16	मीनाक्षी पटेल	जोधपुर	04.04.08	04.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
17	अंजू शर्मा	कोटा	11.11.98	11.11.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
18	प्रतिभा चौहान	जोधपुर	02.04.08	02.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
19	मधुबाला	जोधपुर	26.04.99	26.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
20	नीलम चौधरी	जोधपुर	19.04.08	19.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
21	भगवती श्रीमाली	जोधपुर	03.03.99	03.03.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
22	सारिका कुमारी परमार	उदयपुर	10.04.08	10.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
23	भगवती कुमारी मीणा	उदयपुर	08.04.08	08.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी३/2017/46

दिनांक:- 9.01.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर/ पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
3. अधीक्षक,संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर/ मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर/ उम्मेद अस्पताल जोधपुर/ नवीन चिकित्सालय कोटा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड/ जोधपुर/ उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर/ अजीतगढ(सीकर)।
6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, झालरापाटन(झालावाड)/ सराडा(उदयपुर)।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा0 स्वा0 केन्द्र, गंगापुर (भीलवाडा)/ राजकीय सैटेलाइट हास्पिटल मण्डोर(जोधपुर)/ सेमारी(उदयपुर)।
8. संबन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर